(117)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0अली**

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–508–तीन/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–12–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–91/अ–6/1991–92

....

1– रामलाल तनय सुखदेव (मृतक) वारिसान–
1. बेवा दशोदिया पत्नी स्व0 श्री रामलाल
2. राजराखन पिता स्व0 श्री रामलाल
   निवासीगण–ग्राम नवागांव तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)
3. श्रीमती मोलिया पत्नी कल्लू पुत्री स्व0 श्री रामलाल
   निवासी–शिवपुरवा, तहसील गुढ़, जिला–रीवा, म0प्र0
4. श्रीमती राजवती पत्नी रंगलाल पुत्री स्व0 श्री रामलाल
   निवासी–ग्राम टेहरा, तहसील सिरमौर, जिला–रीवा, म0प्र0
5. श्रीमती देववती पत्नी रामबदन पुत्री स्व0 रामलाल
   निवासी– ग्राम टेहरा, तहसील सिरमौर, जिला–रीवा, म0प्र0
6. श्रीमती श्यामवती पत्नी रामनिवासी पुत्री स्व0 रामलाल
   निवासी–ग्राम कटकी तहसील सिरमौर, जिला–रीवा, म0प्र0
7. श्रीमती श्यामकली पत्नी मुन्ना पुत्री स्व0 रामलाल
   निवासी–ग्राम कटकी तहसील सिरमौर, जिला–रीवा, म0प्र0

———आवेदकगण

विरूद्ध

1– लक्ष्मण तनय देवनन्दन
2– परमधानी तनय किशोरवा
3– अम्बिका तनय किशोरवा
4– रमकलिया पति किशोरवा
5– गंगा पिता गणेश प्रसाद
6– बृजमान उर्फ छोटेलाल पिता गणेश प्रसाद
7– मुसम्मता फूलवती पत्नी श्री गणेश प्रसाद
8– रामप्रसाद तनय बृजभान
9– हीरालाल तनय भोलाराम
10– यज्ञनारायण तनय रामाधीन
11– सीताराम तनय रामाधीन
12– हीरामणि तनय श्री झल्ला
निवासीगण– ग्राम बक्छेरा थाना रायपुर कुर्चलियान, तहसील रायपुर कुर्चलियान, जिला–रीवा, म0प्र0

———अनावेदकगण

....

श्री प्रदीप शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर0एस0 सेंगर,-अभिभाषक, अनावेदक क्र 1 से 3

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/6/17 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-12-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सारांश यह है कि अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर कर्चुलियान के प्रकरण क्रमांक 91/अ-6/91-92/अपील में पारित आदेश दिनांक 28.12.1993 के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अपील प्रचलन के दौरान आवेदक रामलाल की मृत्यु 31.05.2005 को हो गई, जिसके वारिसान द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 22 नियम 3 के अंतर्गत मृतक रामलाल के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु दिनांक 10.01.2006 को आवेदन प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 91/अ-6/1991-92 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2006 से व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 22 नियम 3 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन अवधि-बाह्य होने के कारण निरस्त कर प्रकरण Abavte (रिक्त) होना माना । इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि अपर आयुक्त रीवा संभाग के समक्ष आवेदक रामलाल पुत्र सुखदेव की मृत्यु होना उसके वारिसान ने मृत्यु दिनांक 31.05.2005 बताया है तथा मृतक रामलाल के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 10.01.2006 को प्रस्तुत किया है, जिसे अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा ने प्रकरण क्रमांक 91/अ-6/1991-92 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2006 में अनुचित विलम्ब से प्रस्तुत होने के कारण अपील को Abavte होना माना है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 19595 की धारा 49 में अपील प्राधिकारी की शक्तियों का विवरण दिया गया है, जिसके अनुसार न्यायालय द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग कर अपील समय वर्जित होने पर आवेदक के अभिवचन और साक्ष्य पर विचार करते समय

इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। विचाराधीन प्रकरण में अपर आयुक्त रीवा, संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 91/अ—6/1991—92 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2006 में इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करके विस्तृत विवेचना कर निष्कर्ष दिया है, जिसमें फेर—बदल की गुँजाइश नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 91/अ—6/1991—92 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2006 उचित पाये जाने से यथावत रखा जाता है एवं निगरानी सारहीन होने से अमान्य की जाती है।

(एस0एम0अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,